



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/104/2016/एफ.सी/569

दिनांक:

21-3-17

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
वन विभाग,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।

विषय: उन्नाव में बिलग्राम- उन्नाव-इलाहाबाद राजमार्ग संख्या-38 के चैनेज 37.170 से 39.900 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 3.132 हे० के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 197 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ का पत्रांक- 1430/11सी-उन्नाव/18863/2016, दिनांक- 06.01.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ का पत्रांक- 1130/11सी-उन्नाव, दिनांक- 24.11.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 06.12.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उन्नाव में बिलग्राम- उन्नाव-इलाहाबाद राजमार्ग संख्या-38 के चैनेज 37.170 से 39.900 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 3.132 हे० के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 197 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

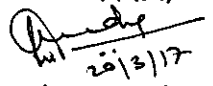
1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (3.132x2= 6.264ha.) अर्थात् 6.264 हे० पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

[Signature]
20/3/17

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

26/3/17
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव उ0 प्र0।
5. अधिशसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड -1लो0नि0वि0, उन्नाव।
6. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।


26/3/17
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}